REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-20052022-235906 CG-DL-E-20052022-235906

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 357]	नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 20, 2022/वैशाख 30, 1944
No. 357]	NEW DELHI, FRIDAY, MAY 20, 2022/VAISAKHA 30, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मई, 2022

सं. 14/2022- सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 374(अ).—जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित "पॉल्यूरेथेन चमड़ा जिसमें किसी भी प्रकार का कपड़ा शामिल हो जो एक तरफ या दोनों तरफ से पॉल्यूरेथेन से लेपित हो" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 5603 94 90 या 5903 20 90 के अंतर्गत आता है, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अपने अधिसूचना संख्या 6/55/2020-डीजीटीआर, दिनांक 21 फरवरी, 2022 जिसे, दिनांक 21 फरवरी, 2022 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि,–

- (i) विषयगत देश से विषयगत वस्तु के लिए पाटन मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है;
- (ii) इसके कारण यहां के घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है;
- (iii) विषयगत देश से पाटित आयात के कारण घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है;

और उन्होंने घरेलू उद्योग को हुई इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित विषयगत वस्तु के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है ।

अत:, अब, सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, उक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्द्वारा, विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आती हैं, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलत: उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है और भारत में आयातित है, पर कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से, कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप इकाई में और कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा-

क्र.सं	शीर्षक/उप	विषयगत वस्तु	मूलत:	निर्यातक	उत्पादक	राशि	माप	मुद्रा
	शीर्षक/ टैरिफ मद	का विवरण	उत्पादन का	देश			की	
			देश				इकाई	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	5603 94 90	पॉल्यूरेथेन	चीन जनवादी	चीन	अनहुई एनली	शून्य	मीटर	अमेरिकी
	5903 20 90	चमड़ा जिसमें	गणराज्य	जनवादी	मेटेरियल			डॉलर
		किसी भी		गणराज्य	प्रौद्योगिकी			
		प्रकार का		समेत कोई	कं.लि.			
		कपड़ा शामिल		भी देश				
		है जो एक तरफ						
		या दोनों तरफ						
		से पॉलीयूरेथेन						
		से लेपित हो						
2.	वही	वही	चीन जनवादी	चीन	क्रम सं. 1 के	0.46	मीटर	अमेरिकी
			गणराज्य	जनवादी	अलावा कोई			डॉलर
				गणराज्य	भी निर्माता			
				समेत कोई				
				भी देश				
3.	वही	वही	चीन जनवादी	चीन	कोई भी	0.46	मीटर	अमेरिकी
	-	_	गणराज्य के	जनवादी				डॉलर
			अलावा कोई	गणराज्य				
			भी देश					

सारणी

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इससे पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है, या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) लागू रहेगी, और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा।

*स्पष्टीकरण*– इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।

[फा. सं. 190354/115/2022-टीआरयू]

नितिश कर्नाटक, अवर सचिव

# MINISTRY OF FINANCE

#### (Department of Revenue)

## **NOTIFICATION**

### New Delhi, the 20th May, 2022

#### No. 14/2022-Customs (ADD)

**G.S.R. 374(E).**—Whereas in the matter of "Polyurethane Leather which includes any kind of textile coated one sided or both sided with Polyurethane" (hereinafter referred to as the 'subject goods') falling under tariff item 5603 94 90 or 5903 20 90 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the 'Customs Tariff Act'), originating in, or exported from People's Republic of China (hereinafter referred to as the 'subject country'), and imported into India, the designated authority in its final findings *vide* notification number 6/55/2020-DGTR, dated the 21<sup>st</sup> February, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 21<sup>st</sup> February, 2022, has come to the conclusion that the,-

- (i) dumping margin for the subject goods from the subject country is positive and significant;
- (ii) domestic industry has suffered material injury;
- (iii) material injury to the domestic industry has been caused by the dumped imports from the subject country,

and has recommended imposition of an anti-dumping duty on the imports of subject goods, originating in, or exported from the subject country and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the country as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the country as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (7), in the currency as specified in the corresponding entry in column (8), of the said Table -

S.N.	Heading, Sub- heading or Tariff Item	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount	Unit of Measurement	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	5603 94 90 5903 20 90	Polyurethane Leather which includes any kind of textile coated one sided or both sided with Polyurethane	China PR	Any country including China PR	Anhui Anli Material Technology Co., Ltd.	NIL	Meters	USD

#### **TABLE**

2.	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Any Producer other than S. N. 1	0.46	Meters	USD
3.	-do-	-do-	Any country other than China PR	China PR	Any	0.46	Meters	USD

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, and shall be payable in Indian currency.

**Explanation.** - For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Act.

[F. No. 190354/115/2022-TRU]

NITISH KARNATAK, Under Secy.